**2008:CGHC:8510-DB**

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दांडिक अपील संख्या -1108/2003**

**महंत उर्फ महेंद्र व अन्य**

**बनाम**

**छत्तीसगढ़ राज्य**

**<u>निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत</u>**

**सही/-**
**न्यायाधीश**
25-02-2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश</u>**

**मैं सहमत हूँ**

**सही/-**
**टी.पी. शर्मा**
**न्यायाधीश**

**<u>27 फरवरी 2008 को निर्णय के लिए पोस्ट करें।</u>**

**सही/-**
**एल.सी. भादू**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दांडिक अपील संख्या-1108/2003**

| | |
|---|---|
| अपीलार्थीगण | 1. महंत उर्फ महेंद्र, पुत्र विदेशी जायसवाल, |
| (जेल में) | उम्र लगभग 40 वर्ष |
| | 2. दिवाकर उर्फ गुडडू पुत्र महंत उर्फ महेंद्र जायसवाल, उम्र लगभग 20 वर्ष |
| | 3. मल्लू उर्फ सूरज, पुत्र राम कुमार सारथी, उम्र लगभग 25 वर्ष |
| | सभी ग्राम निवासी-प्रभात चौक चिंगराज पारा, पुलिस थाना सरकंडा, जिला: बिलासपुर (छत्तीसगढ़) |

**बनाम**

| | |
|---|---|
| प्रत्यर्थी | छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) |

{दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील}

---

**उपस्थित:**
**श्री वी.पी. गुप्ता एवं श्री एफ.एस. खरे, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।**
**श्री राकेश झा राज्य/प्रत्यर्थी के उप-शासकीय अधिवक्ता।**

---

**खंडपीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू और माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

## निर्णय

**27 फरवरी 2008 को सुनाया गया**

**न्यायमूर्ति एल सी भादू द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत इस अपील के द्वारा आरोपीगण/ अपीलार्थीगण ने विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 118/2001 में दिनांक 25 अगस्त, 2003 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की वैधता और सटीकता को प्रश्नगत किया है, जिसके द्वारा व जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश के द्वारा छुट्टन और उसकी पत्नी लक्ष्मीन बाई की हत्या करने के लिए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह-पठित धारा 34 के तहत दोषी करार करते हुए प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 200/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक हत्या के लिए 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास, मेघनाथ और भोला को धारदार हथियार से मामूली चोटें पहुँचाने के लिए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सह-पठित धारा 34 के तहत भी दोषी करार किया गया और प्रत्येक आरोपी को प्रत्येक घटना के लिए 6 महीने का साधारण कारावास का दंडादेश दिया। साथ ही, मनोज को मामूली चोटें पहुँचाने के लिए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सह-पठित धारा 34 के तहत भी दोषी ठहराया गया और प्रत्येक आरोपी को एक महीने का साधारण कारावास का दंडादेश दिया गया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि सभी दंड साथ-साथ चलेंगी। हालाँकि, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने सह-आरोपी राजकुमार और श्रीमती चमेली बाई को दोषमुक्त कर दिया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 3-6-2001 की अपराह्न को दिवाकर, महंत और चमेली बाई ने मेघनाथ और भोला की पिटाई की थी। उन्हें अन्य

लोगों ने समझाया, इसलिए वे वहाँ से चले गए। हालाँकि, रात्रि 9-10 बजे के दरमीयान पाँच आरोपी राजकुमार, महंत, श्रीमती चमेली बाई, दिवाकर और मल्लू ने मेघनाथ पर हमला करने के उद्देश्य से एक विधि-विरुद्ध जमाव का गठन किया। विधि-विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में वे पीपल के वृक्ष के निकट एकत्र हुए और मेघनाथ पर उस्तरा, लाठी, तलवार से हमला किया और उसे भद्दी गालियाँ दीं। उसी समय छुट्टन, लक्ष्मीन बाई और मनोज वहाँ आ गए। जब छुट्टन एवं लक्ष्मीन बाई घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने जा रहे थे, तब आरोपीगण ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसका भोला द्वारा थाना सरकण्डा में प्रदर्श पी./28 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

**3.** उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 307, 147, 148 और 149 के तहत घटना दर्ज किया। विवेचना अधिकारी घटना स्थल को रवाना इस प्रदर्श पी./18, प्रदर्श पी./19, प्रदर्श पी./20 और प्रदर्श पी./21 की सूचना पंचों को देने के बाद छुट्टन के शव का प्रदर्श पी./22 और लक्ष्मीन बाई के शव का प्रदर्श पी./23 के तहत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2008:CGHC:8510-DB**

मृत्यु समीक्षा तैयार किया। मृतक छुट्टन के वस्त्र प्रदर्श पी./24 के तहत जब्त किए गए। घटनास्थल से प्रदर्श पी./3 के तहत सादी मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी जब्त की गई। मृतक लक्ष्मीन बाई के वस्त्र प्रदर्श पी./25 के तहत जब्त किए गए। छुट्टन के शव को शवपरीक्षण के लिए प्रदर्श पी./8 के तहत धरम अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया, जहां डॉ. ए.के. शुक्ला (अ.सा.-13) ने छुट्टन के शव का शवपरीक्षण किया। उन्होंने मत व्यक्त किया कि छुट्टन के शरीर पर 6 घाव थे। पैरिटो आक्सीपीटल हड्डी और आक्सीपीटल हड्डी टूटी हुई पाई गई। सिर की चोट नंबर 6 के परिणामस्वरूप मौत का कारण (कोमा) प्रगाढ़ बेहोशी था। चोट की प्रकृति मृत्युपूर्व की थी। मृत्यु मानववध थी। छुट्टन

की पत्नी लक्ष्मीन बाई के शव को भी शवपरीक्षण के लिए प्रदर्श पी./10 के तहत धरम अस्पताल भेजा गया, जहां डॉ. शुक्ला (प्रदर्श पी.-13) ने लक्ष्मीन बाई के शव का शवपरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चेहरे और बाएं कान के निकट आक्सीपीटल क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव और एक फटा हुआ घाव था उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण सिर पर चोट लगना था। मानववध प्रकृति की थी।

**4.** घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी./6) विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किया गया। कुसुम की चोटों की जाँच डॉ. माया पांडे (अ.सा.-2) ने की। चोट का रिपोर्ट प्रदर्श पी./2 तैयार की गई। दाहिनी तर्जनी उंगली पर 3 मिमी x 2 मिमी x 1 मिमी आकार का एक फटा हुआ घाव था। मेघनाथ की चोटों की जाँच अ.सा.-15 डॉ. टी.एस. श्याम ने किया। बाएँ ललाट क्षेत्र पर एक घाव था। नाक और ऊपरी होंठ पर एक फटा हुआ घाव था। दाएँ पैराईटल क्षेत्र से बाएँ पैराईटल क्षेत्र तक एक घाव था। बाएँ पैराईटल क्षेत्र पर एक फटा हुआ घाव था। चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी./13 तैयार किया गया । भोला की चोटों की जाँच अ.सा.-15 डॉ. टी.एस. श्याम ने किया और अग्रबाहु और पैराईटल क्षेत्र पर दो चीरे हुए घाव पाए गए। चोट का रिपोर्ट प्रदर्श पी/14 तैयार किया गया। मनोज की चोटों की प्रदर्श पी-15 डॉ. टी.एस. श्याम द्वारा जाँच की गई और आक्सीपीटल क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव और बाईं कोहनी के पार्श्व भाग पर एक चोट पाई गई। चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी./15 तैयार किया गया। आरोपी चमेली की चोटों की अ.सा-14 डॉ. कु. एस. राव द्वारा जाँच किया गया, जिसमें 2 साधारण खरोंच के निशान पाए गए। चोट का रिपोर्ट प्रदर्श पी./12 तैयार की गई। आरोपी दिवाकर की चोटों की अ.सा -17 डॉ. भानुप्रताप सिंह द्वारा जाँच किया गया । वह दर्द की शिकायत कर रहा था। कोई स्पष्ट चोट नहीं पाया गया। चोट का रिपोर्ट प्रदर्श पी./26 तैयार किया गया। आरोपी मल्लू की चोटों की अ.सा. -17

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉ. भानुप्रताप सिंह द्वारा जाँच किया गया। सिर के आगे से कनपटी क्षेत्र तक कटा हुआ घाव था। चोट का रिपोर्ट प्रदर्श पी./27 तैयार किया गया।

**5.** पुलिस हिरासत में, आरोपी महंत ने प्रदर्श पी/29 में उस स्थान के सम्बन्ध में मेमोरेंडम दिया जहाँ उसने घटना मे प्रयुक्त हथियार, लाठी रखी थी, जिसके अनुसरण में, आरोपी महंत से प्रदर्श पी./35 के तहत लाठी बरामद की गई। आरोपी दिवाकर ने तलवार रखने के स्थान के संबंध में प्रदर्श पी./39 ज्ञापन दिया। अभियुक्त मल्लू ने लाठी रखने के स्थान के सम्बन्ध में मेमोरेंडम प्रदर्श पी./40 दिया, जिसके अनुसरण में मल्लू की निशानदेही

**2008:CGHC:8510-DB**

पर प्रदर्श पी./41 के अन्तर्गत लाठी जब्त की गई तथा दिवाकर की निशानदेही पर प्रदर्श पी./42 के अन्तर्गत तलवार जब्त की गई। छुट्टन की मृत्यु के संबंध में मर्ग प्रदर्श पी./4 और लक्ष्मीन बाई की मृत्यु के संबंध में मर्ग प्रदर्श पी./5 दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**6.** विवेचना पूरा होने के बाद, सभी आरोपीगण के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर की न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उपार्जित कर दिया, जहां से मामले को विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया।

**7.** आरोपीगण के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों का परीक्षण कराया। आरोपीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके खिलाफ पेश तथ्यो से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें प्रश्नगत घटना में झूठा फंसाया गया है।

**8.** विद्वान विशेष न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओ को सुनने के बाद, आरोपी महंत, दिवाकर और मल्लू को दोषी ठहराया और दंडित किया, हालांकि आरोपी राजकुमार और चमेली बाई को दोषमुक्त कर दिया।

**9.** हमने अपीलार्थीयो के अधिवक्ता श्री वी.पी. गुप्ता और श्री एफ.एस. खरे और प्रत्यर्थी /राज्य के उप-शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश झा को सुना।

**10.** आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने छुट्टन और लक्ष्मीन बाई की मानववध का खंडन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.-13 डॉ. ए.के. शुक्ला ने बताया कि दिनांक 4-6-2001 को उन्होंने छुट्टन के शव का शवपरीक्षण किया था। सिर के विभिन्न हिस्सों पर 5 घाव थे जिनमें से एक दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली पर था। उन्होंने बताया कि पैराईटल बोन 3 सेमी x 0.5 सेमी के आकार में टूटी हुई थी। आक्सीपीटल बोन भी 4 सेमी x 1 सेमी के आकार में टूटी हुई थी। मृत्यु का कारण सिर की चोट संख्या 6 के कारण (कोमा) प्रगाढ़ बेहोशी था। मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी./9 है। उन्होंने आगे बताया कि उसी दिन उन्होंने लक्ष्मीन बाई के शव का शवपरीक्षण किया था। चेहरे के बाईं ओर कान के निकट एक ताज़ा फटा हुआ घाव था। आक्सीपीटल क्षेत्र के दाहिने हिस्से पर ताज़ा फटा हुआ घाव था और चोट के नीचे की हड्डी टूट गई थी। अधो-अस्तर रक्तश्राव मौजूद था जो सिर में था। चोट संख्या 2 घातक थी। मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के कारण (कोमा) प्रगाढ़ बेहोशी था। मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी./11 है। उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षी, अर्थात् अ.सा.-3 मेघनाथ, अ.सा.-8 कुसुम, अ.सा.-11 मनोज और अ.सा.-18 भोला के साक्ष्यों द्वारा पुष्ट होते हैं। वे घायल चक्षुदर्शी हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने मृतकों पर तलवार और लाठियों से हमला किया था। अतः उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षी एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि छुट्टन और लक्ष्मीन बाई की मानववध की प्रकृति की थी।

**11.** जहाँ तक संबंधित घटना में आरोपीगण/अपीलार्थीगण की संलिप्तता और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (सह-पठित धारा 34), 324 (सह-पठित धारा 34) और 323 (सह-पठित धारा 34) के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि का प्रश्न है चुट्टन और लक्ष्मीन बाई की हत्या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने और मेघनाथ और भोला को धारदार हथियार से साधारण चोटें पहुँचाने और मनोज को कुंद वस्तु से साधारण चोटें पहुँचाने के लिए, आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि मुख्यतः अ.सा.-3 मेघनाथ, अ.सा.-8 कुसुम, अ.सा.-11 मनोज और अ.सा.-18 भोला की गवाही पर आधारित है, अन्य स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इन गवाहों से प्रतिपरीक्षण में यह बात सामने आई है कि पक्षों के मध्य लंबे समय से दुश्मनी थी। पक्षों के मध्य झगड़ा होता था और इसी कारण से पहले भी दांडिक मामले दर्ज किए गए थे। सभी चारों गवाह निकट संबंधी हैं, अर्थात् अ.सा.-3 मेघनाथ और अ.सा.-18 भोला सगे भाई हैं, अ.सा.-8 कुसुम अ.सा.-18 भोला की पत्नी है। अ.सा.-11 मनोज भी अ.सा.-3 मेघनाथ और अ.सा.-18 भोला का भाई है। मृतक उनके माता-पिता हैं, इसलिए घनिष्ठ संबंध के कारण और पुलिस केस डायरी के कथन और न्यायालय के साक्ष्य के मध्य विरोधाभास के कारण, इन गवाहों के साक्ष्य पर स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों के समान आशय को स्थापित करने के लिए कोई स्पष्ट और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रारंभ में सभी पांच आरोपीगण पर धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनमें से दो, राजकुमार और चमेली बाई को दोषमुक्त कर दिया गया है। चूंकि तीन आरोपी बचे थे, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समान आशय स्थापित नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक आरोपी महंत जो दिवाकर के पिता हैं, का संबंध है, गवाहों के पास कोई ठोस और सुसंगत सबूत नहीं है कि उन्होंने मृतक व्यक्तियों

या घायल व्यक्तियों पर हमला किया। मल्लू के विरुद्ध कोई सुसंगत सबूत नहीं है। घटना मे प्रयुक्त हथियार के संबंध में विरोधाभास है जिसे आरोपी महंत और मल्लू ने घटना के वक़्त इस्तेमाल किया था आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि तीनों आरोपीगण को भी उसी घटना में चोटें आई थीं, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता पक्ष ही हमलावर था। अतः आरोपीगण/अपीलार्थीगण महंत और मल्लू दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं।

**13.** जहाँ तक आरोपी दिवाकर का संबंध है, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है कि उसने मृतकों पर उनकी मृत्यु कारित करने के आशय से हमला किया था। झगड़ा अचानक शुरू हुआ, इसी क्रम में उसने हमला कर दिया जिसमें उसे खुद भी चोटें आईं, इसलिए आरोपी दिवाकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II से आगे कोई घटना नहीं बनता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**14.** दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निचली न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

**15.** पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने निचली न्यायालय के निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। जहाँ तक अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस बिंदु का प्रश्न है कि सभी 4 गवाह मृतक व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके साक्ष्य किसी भी स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य से पुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए, उनके साक्ष्य पर स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि किसी घनिष्ठ रिश्तेदार को 'हितबद्ध' गवाह के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है, वह एक

(स्वाभाविक) गवाह है, हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच में, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित

और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो ऐसे गवाह की दोषसिद्धि 'एकमात्र' गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके

[1] 2007 ARI SCW 1835

साक्ष्य को खंडन करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का घनिष्ठ रिश्तेदार आमतौर पर वास्तविक अपराधी को छोड़ने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा।

**16.** **हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य**[2] मामले में, आरोपी की दोषसिद्धि को उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अभियोजन पक्ष का बयान रिश्तेदारों की गवाही पर आधारित था और इसलिए यह विश्वास पैदा नहीं करता। इस तर्क को नकारते हुए **उच्चतम न्यायालय ने कहा:**

"विधि में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को मिथ्या गवाहों के रूप में माना जाए। इसके विपरीत, पक्षपात का तर्क देते समय यह तर्क प्रस्तुत करना होगा कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को मिथ्या फंसाने का कारण था।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**17.** जहाँ तक अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि शिकायतकर्ता पक्ष के आरोपीगण के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे इसलिए उन्हें मिथ्या फंसाया गया है, इस मुद्दे पर विधि यह है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की अधिक सावधानी और सतर्कता से जाँच करनी चाहिए क्योंकि दुश्मनी, वास्तव में, एक दोधारी तलवार है जो घटना करने के साथ-साथ मिथ्या आरोप या अतिशयोक्ति का आधार भी बन सकती है।

**18.** जहाँ तक पुलिस केस डायरी के कथन और न्यायालयीन साक्ष्य के मध्य चूक, विरोधाभास और सुधार का सवाल है, **मुंशी प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[3] के मामले में **उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि:**

"किसी गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते वक़्त, अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित किए बिना, मामूली विसंगतियों के आधार पर, न्यायालय को साक्ष्य को पूरी तरह से खंडित नहीं करना चाहिए। यदि समान गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य का सार और निचली न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद उसकी विश्वसनीयता के

संबंध में राय बनाती है, तो समान परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय के लिए बिना उचित कारणों के उसकी एक बार पुनः समीक्षा करना उचित नहीं होगा। स्थिति की समग्रता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

---

[i] 2007 AIR SCW 1835

[2](2005) 9 SCC 195

[3](2002) 1 SCC 351

**2008:CGHC:8510-DB**

19. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी**[4] और **लीला राम बनाम हरियाणा राज्य**[5] [2]के मामलों में **उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि:**

"यह दर्ज करना अनावश्यक है कि कुछ मामूली ब्यौरे में अंतर हो सकता है, जो अन्यथा अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करता लेकिन यह उसके आप में न्यायालय को मामूली भिन्नताओं और विसंगतियों के आधार पर सबूतों को खंडित करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **लीला रेन मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा-10 में टिप्पणी की है कि:**

"10 * * *

**24.** जब किसी चक्षुदर्शी साक्षी का से विस्तार से परीक्षण किया जाता है, तो उसके द्वारा कुछ विसंगतियाँ देना पूरी तरह संभव है। कोई भी वास्तविक गवाह कुछ विसंगतिपूर्ण विवरण देने से बच नहीं सकता। शायद एक मिथ्या गवाह, जिसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया हो, सफलतापूर्वक अपनी गवाही को पूरी तरह से विसंगति रहित बना सकता है। लेकिन न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल तभी जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियाँ उसके कथन की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत हों कि न्यायालय उसके साक्ष्य को खंडित करने के लिए उचित है। लेकिन किसी घटना के

---

[2] (2002) 1 SCC 351

वर्णन में केवल भिन्नताओं पर बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाना (चाहे दो गवाहों के साक्ष्य के मध्य या एक ही गवाह के दो बयानों के मध्य) न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।"

**उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा:**

**25.** निचली न्यायालयो में प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह से आमना-सामना कराने के लिए उसके पिछले बयान में विरोधाभास निकालना एक आम प्रथा है। केवल इसलिए कि साक्ष्य में असंगति है, यह गवाह की विश्वसनीयता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निस्संदेह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 एक असंगत पूर्व बयान के प्रमाण द्वारा गवाह की विश्वसनीयता पर अधिशेप लगाने की गुंजाइश प्रदान करती है। लेकिन धारा को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सभी असंगत बयान गवाह की विश्वसनीयता पर अधिशेप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। धारा का मुख्य भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"155.** गवाह की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाना- किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा, या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया हैं, निम्नलिखित प्राकरों से अधिक्षेप किया जा सकेगाः–

(1)-(2) * * *

**(3)** उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से, जिसका खण्डन किया जा सकता है, असंगत पिछले कथनों की साबित करने द्वारा,

**26.** एक पूर्व कथन, भले ही साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत हो, आवश्यक रूपसे विरोधा-भास के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल वही असंगत कथन, जो "विरोधाभासी" होने के योग्य

---

[4] (1985) 1 SCC 505

[5] (1999) 9 SCC 525

हो, गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, प्रति-परीक्षक को गवाह के किसी भी पूर्व कथन का उपयोग करने का अधिकार भी देती है, लेकिन यह चेतावनी देती है कि यदि इसका उद्देश्य गवाह का "खंडन" करना है, तो प्रति-परीक्षक को उसमें निर्धारित औपचारिकता का पालन करने का आदेश दिया जाता है। संहिता की धारा 162, प्रति-परीक्षक को गवाह के पूर्व कथन (संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज) का उपयोग केवल सीमित उद्देश्य, अर्थात् गवाह का "खंडन" करने के लिए करने की अनुमति देती है।

**27.** इसलिए, किसी गवाह का खंडन करना, गवाह के विशेष कथन को अविश्वास करना होगा। जब तक कि पूर्व वाले बयान में वर्तमान बयान को अविश्वास करने की क्षमता न हो, भले ही बाद वाला बयान पूर्व वाले बयान से कुछ हद तक भिन्न हो, उस गवाह का खंडन करना मददगार नहीं होगा। **(देखें:तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1959 एससी 1012)।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**21.** जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत दोषसिद्धि का प्रश्न है, **गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[6] के मामले में, **उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि:**

"धारा 34 आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और यह कोई मूल घटना गठित नहीं करता है। इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए घटना के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत तब उत्पन्न होता है जब ऐसा आपराधिक कृत्य उन व्यक्तियों के समान आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है जो घटना करने में सम्मिलित होते हैं। समान आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे आशय का केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही

अनुमान लगाया जा सकता है। समान आशय के आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्तों की योजना थी या उनके मन में सहमति थी कि वे उस घटना को अंजाम दें जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है। धारा 34 की सहायता से, चाहे वह पूर्व-नियोजित हो या क्षणिक; लेकिन यह अनिवार्य रूप से घटना के घटित होने से पूर्व ही होना चाहिए। धारा 34 की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर कोई कार्य संयुक्त रूप से करते हैं, तो विधि में स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं कारित किया हो। किसी घटना में हिस्सा लेने वालों के मध्य एक समान आशय का होना इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी घटना को संयुक्त रूप से करने के आरोपित कई व्यक्तियों के कार्य एक जैसे या एक जैसे ही हों। ये कार्य प्रकृति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस प्रावधान को लागू करने के लिए एक ही समान आशय से प्रेरित होने चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[6] 2004 AIR SCW 810

**2008:CGHC:8510-DB**

**22.** **मकसूदन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] के मामले में **उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि:** "समान आशय एक तथ्यात्मक प्रश्न है। यह वस्तुपरक है। लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।"

**23.** घटना के दौरान अचानक समान आशय बन सकता है बिना किसी पूर्व षडयंत्र के और घटनास्थल पर ही उत्पन्न हो सकता है और ऐसा समान आशय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोटों की प्रकृति से उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **यल्लप्पा बनाम राज्य**[8] के मामले में अवधारित किया है, जहाँ एक हत्या के मुकदमे में अभियुक्त ने समान आशय साझा किया

था, लेकिन छह अभियुक्तों में से एक द्वारा कोई विशिष्ट चोट नहीं पहुँचाई गई थी, फिर भी उसे धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **पुल्ला रेड्डी बनाम राज्य**[9] के मामले में अवधारित किया है।

**24.** जहाँ तक आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत कोई आरोप नहीं था, बल्कि वास्तव में, आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के आधार पर लगाया गया था, अभियोजन पक्ष के अनुसार, पाँच अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया और तीन व्यक्तियों, अर्थात् अपीलार्थीयो को दोषी ठहराया। अब यह विधि पूरी तरह से स्थापित है कि न्यायालय धारा 34 का सहारा ले सकता है, भले ही आरोप में उसका विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **उमर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[10] और **भूर सिंह बनाम पंजाब राज्य**[11] के मामलों में अवधारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**25.** उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, हमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से जाँच करनी होगी क्योंकि चक्षुदर्शी गवाह मृतक व्यक्तियों के रक्त संबंधी हैं, साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष और अभियुक्तों के मध्य लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध थे और स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं। अ.सा.-3 मेघनाथ ने कहा है कि उस घाटना वाली रात 11 बजे वह अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने गया था, जो उनके घर के दूसरी तरफ सड़क के उस पार कुछ दूरी पर था। उसने देखा कि सभी अभियुक्त पानी के टेप और पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। जब वह अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर लौट रहा था, तो अभियुक्त मल्लू, दिवाकर, चमेली और महंत खड़े थे। उन्होंने उस पर लाठी, डंडा और तलवार से हमला किया। दिवाकर तलवार लिए हुए था। मल्लू चाकू लिए हुए था, जबकि, महंत लोहे का पाइप लिए हुए था। जब उस पर हमला

हुआ, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके ऊपरी होंठ, बाईं आँख, सिर और शरीर के

[7] AIR 1983 SCC 126

[8] (1994) I SCC 730

[9] 1993 Cri.L.J 2246 (SC)

[10] AIR 1973 SC 221

[11] AIR 1974 SC 1256

पिछले हिस्से पर चोटें आईं। इस गवाह ने न्यायालय में चोटों के निशान दिखाए। उसने आगे कहा कि उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ और पिता मौके पर आ गए। उसने आगे कहा कि राजकुमार वहाँ मौजूद नहीं था। उसने उस पर हमला नहीं किया था। अभियुक्तों द्वारा की गई पिटाई के कारण वह गिर पड़ा, उसके बाद जब उसकी माँ और पिता रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना जा रहे थे, तो अभियुक्तों ने उन पर भी हमला कर दिया। उसके भाई की पत्नी, कुसुम ने पूरी घटना देखी। चूँकि वह बेहोश हो गया था, इसलिए वह यह नहीं बता पा रहा है कि उसके माता-पिता पर किसने हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**26.** अ.सा.-8, भोला की पत्नी कुसुम ने बताया है कि उस घाटना वाली रात को लगभग 10 बजे वह अपनी सास, ससुर, पति और देवर के साथ उसके घर में खाना खा रही थी। उसका देवर अपनी बेटी को सड़क के उस पार उसके ससुराल छोड़ने के लिए घर से निकला था। जब उसका देवर लौट रहा था, आरोपी मल्लू और दिवाकर पीपल के वृक्ष के पास खड़े थे, दिवाकर लोहे का हथियार (कांटा) पकड़े हुए था और मल्लू रॉड पकड़े हुए था। उन्होंने उसके देवर को गालियाँ दीं। जब उसने उन्हें गालियाँ न देने के लिए कहा, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसका पति वहीं खड़ा था, जिसने आकर बताया कि आरोपीगण ने मेघनाथ पर हमला किया है, इसलिए वे सभी पीपल के वृक्ष की ओर दौड़े। वहाँ महंत एक

डंडा लेकर आए और चमेली भी आ गई। उन्होंने बीच-बचाव किया। उसके ससुर ने कहा कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना जा रहे हैं। सभी रिपोर्ट  दर्ज कराने पुलिस थाना जाने लगे, उस समय बूंदा-बांदी हो रही थी और रोशनी नहीं थी, दिवाकर, मल्लू और महंत ने उसके देवर को घसीटा और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया, तो दिवाकर ने उसके  हाथ में पकड़े हुए हथियार से उसके ससुर के मुँह पर हमला कर दिया। जब उसकी सास ने उसे रोकने की कोशिश की, तो मल्लू ने उसके हाथ पर हमला कर दिया। वह दिवाकर के पीछे दौड़ी। उसने दिवाकर को पकड़ लिया, जिस पर दिवाकर ने हथियार उसके पेट पर रख दिया। जब उसने दिवाकर को धक्का दिया, तो वह गिर पड़ा। जब उसने हथियार छीनने की कोशिश की, तो उसके दाहिने हाथ और पेट में चोटें आईं। जब उसने शोर मचाया, तो आसपास के लोग वहाँ आ गए और अभियुक्त भाग गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**27.** कुसुम के पति, अ.सा.-18 भोला ने बताया है कि 3 जून, 2001 को रात लगभग 10-10.30 बजे वे उसके  घर पर थे। मेघनाथ घर से बाहर गया था। वे उसके  घर पर खाना खा रहे थे। जब उन्हें झगड़े का पता चला, तो वे बाहर गए। उसने देखा कि आरोपी उसके भाई मेघनाथ पर हमला कर रहे थे। दिवाकर के पास लोहे का हथियार (कांटावाला) था, महंत के पास लाठी थी और मल्लू के पास उस्तरा था। जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दिवाकर ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके माथे और हाथ पर चोटें आईं। इस गवाह ने उसके  साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायालय में उसके  दाहिने हाथ की चोटें दिखाई थीं। चूँकि वे आरोपीगण से घिरे हुए थे, इसलिए वे भाग गए। दिवाकर, उसके पिता महंत और मल्लू तीनों ने उसकी माँ पर हमला किया। राजकुमार वहाँ मौजूद नहीं था। उसके पिता पर किसने हमला किया, यह उसे नहीं  पता  क्योंकि  वह आरोपीगण   से घिरा हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल पर कोई रोशनी नहीं थी।

**28.** अ.सा.-11 मनोज ने बताया है कि घटना शाम लगभग 7.30 बजे हुई थी, उस समय दिवाकर ने उसके भाई भोला पर और मल्लू ने उसके पिता पर लाठी से हमला किया था।

प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेघनाथ पर हमला शाम लगभग 7 बजे हुआ था। इस साक्षी के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रात लगभग 10.30 बजे उसके पिता और माता पर हमला हुआ, तब उसने घटना नहीं देखा था।

**29.** ये तीनों गवाह घायल गवाह हैं। कुसुम की चोट अ.सा.-2 डॉ. माया पांडे द्वारा सिद्ध की गई है, जिन्होंने बताया है कि दिनांक 3-6-2001 को उन्होंने कुसुम की जाँच की थी। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर 3 मिमी x 2 मिमी x 1 मिमी आकार का कटा हुआ घाव था। चतुर्थ

मेघनाथ और भोला को लगी चोटें अ.सा.-15 डॉ. टी.एस. श्याम द्वारा सिद्ध की गई हैं, जिन्होंने बताया है कि दिनांक 4-6-2001 को उन्होंने मेघनाथ की चोटों की जाँच की थी। उन्होंने देखा कि (1) घाव फटा हुआ था। माथे के बाईं ओर घाव पर थक्का जमा हुआ खून मौजूद था। (2) नाक और ऊपरी होंठ के किनारों पर कटा हुआ घाव था, जिसके किनारे नियमित थे। (3) पैराईटल क्षेत्र के दाईं ओर कटा हुआ घाव। (4) बाएँ पैराईटल क्षेत्र पर कटा हुआ घाव। चोट संख्या 2, 3 व 4 किसी धारदार हथियार से लगी थीं। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 3-6-2001 को उन्होंने भोला की चोटों की जाँच की। उसके दाहिने हाथ पर एक घाव और माथे पर एक घाव था। इसलिए, इन तीनों गवाहों की मौके पर मौजूदगी इस तथ्य से साबित होती है कि उन्हें चोटें आई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**30.** घटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति भी स्थापित होती है क्योंकि आरोपीगण की चोटों की भी जाँच की गई थी और उन्हें भी उसी घटना में चोटें आई थीं। आरोपी दिवाकर की

रिपोर्ट प्रदर्श पी./26 है और अ.सा.-17 डॉ. भानुप्रताप सिंह ने बताया है कि दिनांक 5-6-2001 को उन्होंने दिवाकर की चोटों की जाँच की थी। कोई स्पष्ट चोट नहीं थी, लेकिन वह बाएँ हाथ और बाएँ पैर में दर्द की शिकायत कर रहा था। अभियुक्त मल्लू की चोटों की भी उन्होंने जाँच की थी। उन्होंने बताया था कि दाहिने फ्रंटो टेम्पोरल क्षेत्र पर 4 सेमी x 0.5 सेमी आकार का घाव था। थक्का जमा हुआ खून था। चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी./27 है। आरोपी

महंत की चोटों की जाँच अ.सा.-24 डॉ. एस. एस. दुबे द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया था कि बाएँ कंधे पर 5 सेमी x 1/2 सेमी आकार का खरोंच था। दाहिनी कोहनी पर 5 सेमी x 5 सेमी के आकार का खरोंच था। वह पीठ में दर्द की शिकायत कर रहा था। चोटें समान थीं। रिपोर्ट प्रदर्श पी./50 है। उपरोक्त के मद्देनजर, आरोपीगण को लगी चोटें घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को भी स्थापित करती हैं।

**31.** अ.सा.-3 मेघनाथ ने यह सिद्ध किया है कि उस पर आरोपी दिवाकर, मल्लू और महंत ने हमला किया था। उसने घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सिद्ध की है। यद्यपि उसने कहा है कि चूँकि वह बेहोश हो गया था, इसलिए वह यह नहीं देख सका कि उसके माता और पिता पर किसने हमला किया, तथापि उसके साक्ष्य की पुष्टि अ.सा.-15 डॉ. टी.एस. श्याम द्वारा सिद्ध की गई चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी./13 के अनुसार चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। इसी प्रकार, अ.सा.-8 कुसुम, जिसकी उपस्थिति उसे लगी चोटों और इस गवाह की गवाही के आधार पर सिद्ध होती है, अ.सा.-3 मेघनाथ के साक्ष्य से पुष्ट होती है। उसने कहा है कि दिवाकर, मल्लू और महंत नामक इन आरोपीगण ने मेघनाथ पर हमला किया। जब वे वहाँ पहुँचे, तो आरोपी दिवाकर ने उसके ससुर पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। दिवाकर, मल्लू और महंत ने उसके देवर पर हमला किया। मल्लू ने उसकी सास पर हमला किया। अ.सा.-18 भोला ने कहा है कि दिवाकर, उसके पिता महंत और मल्लू ने मेघनाथ पर हमला किया। दिवाकर लोहे का हथियार (कांटावाला) लिए हुए था, महंत लाठी लिए हुए था। मल्लू के घर के पीछे तीनों ने उसकी माँ पर हमला किया। इन 3 घायल चश्मदीदों के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि तीनों आरोपी हमले में शामिल थे। हालाँकि छुट्टन और लक्ष्मीन बाई को घातक चोटें आरोपी दिवाकर द्वारा धारदार हथियार से पहुँचाई गईं और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने लाठियों से हमला किया, इस प्रक्रिया में आरोपीगण को भी चोटें आईं, जो उनकी उपस्थिति को स्थापित करती है। उस हमले में केवल छुट्टन और लक्ष्मीन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं। उनकी पैराईटल और आक्सीपीटल हड्डियाँ टूट गईं और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई।

**32.** मल्लू के हाथ में जो हथियार था, उसके बारे में कुछ विरोधाभास है। गवाहों के प्रतिपरीक्षण में यह बात सामने आई है कि रात का समय था, रोशनी नहीं थी, इसलिए हथियार के बारे में ऐसी विसंगतियां स्वाभाविक रूप से होनी ही थीं क्योंकि कई लोग खड़े थे और कई आरोपी हमला कर रहे थे। चक्षुदर्शियों के लिए हर कार्रवाई और हथियार को बारीकी से देखना मुश्किल था, खासकर अंधेरी रात में। इसी तरह, उनके लिए हर आरोपी द्वारा कारित हर चोट को देखना भी मुश्किल था। लेकिन, कुल मिलाकर, इन तीन घायल गवाहों की गवाही के अनुसार, चक्षुदर्शियों की मौजूदगी स्थापित होती है। इसी तरह, आरोपीगण की मौजूदगी इस तथ्य से भी स्थापित होती है कि उन्हें भी चोटें आई थीं। यहां तक कि उनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए। दिवाकर द्वारा पहुंचाई गई घातक चोट भी स्थापित होती है। जिस तरह से सभी आरोपी लोग पीपल के वृक्ष के पास घातक हथियारों से लैस होकर खड़े थे, जब मेघनाथ उसके ससुराल से घर लौट रहा था। इसके बाद उन्होंने उस पर हमला किया, माता, पिता, भाई और भाभी हस्तक्षेप करने के लिए आए, उन्होंने उन पर भी हमला किया, यह सबूतों से सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, उनके पास मौजूद हथियार की प्रकृति और जिस तरह से तीनों आरोपी व्यक्ति हमले में शामिल थे, तीनों का पीड़ितों को खत्म करने का समान आशय था। यह तय है कि हमले से ठीक पहले मौके पर ही पल भर में समान आशय भी बन सकता है। सभी आरोपी व्यक्ति उस जगह से भाग गए। यहां तक कि दिवाकर ने कुसुम पर हमला किया। भले ही न्यायालय के सबूत और पुलिस केस डायरी के बयान में कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन उपलब्ध सबूतों को देखते हुए, घायल चक्षुदर्शी गवाह और आरोपी व्यक्ति भी घायल हुए थे, छोटी-मोटी विसंगतियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**33.** उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि आरोपीगण ने मृतक व्यक्तियों की मृत्यु कारित करने के समान आशय से शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया था।

**34.** जहाँ तक आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क का प्रश्न है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपीगण पर हमला किया और उन्हें चोटें भी आईं, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए आरोपी संदेह का लाभ और दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं, लेकिन आरोपीगण के शरीर पर अधिकांश चोटें साधारण और सतही थीं, आरोपीगण के पास घातक हथियार थे, इसलिए यह सिद्ध होता है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया और उन्हें घातक चोटें पहुँचाईं। रात का अँधेरा था, इसलिए, ऐसे हमले में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, ऐसी चोटों के लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क में कोई दम नहीं लगता और वे इस मामले में किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**35.** उपरोक्त कारणों से हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता और त्रुटि नहीं पाते हैं, जिसमें आरोपीगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34, छुट्टन और लक्ष्मीबाई की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह-पठित धारा 34, मेघनाथ और भोला को चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सहपठित धारा 34 के तहत घटना  करने के लिए दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया। तथापि, मनोज को चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंड को अपास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि घटना के समय मनोज की घटनास्थल पर उपस्थिति उसके साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध है।

**36.** तदनुसार, आरोपीगण/अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 और 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि और अधिरोपित दण्डादेश बरकरार

रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत उन पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त किया जाता है।

**सही/-**
**एल.सी**
**न्यायाधीश**

**सही/-**
**टी.पी. शर्मा**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**Translated By**

**Pushyamitra Maltiar**

**8920842316**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur